

Statement-III

The Composition of Formulary Sub-Committee

| | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Hakeem Saif-ud-din Ahmad | Chairman |
| 2. Dr. A.M. Ansari | Member |
| 3. Hakeem R.L. Verma | Member |
| 4. Hakeem S.M. Najmi | Member |
| 5. Hakeem Qamruz-zaman | Member |
| 6. Hakeem Mohd. Arshad Sheikh | Member |

Setting up of National Ayurveda Directorate

248. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a National Ayurveda Directorate;

(b) if so, what are the details thereof and the progress made so far;

(c) whether Government propose to set up such a Directorate for Unani system of medicines also; and

(d) if so, the details thereof; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D.K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) to (d) The question of setting up a Directorate of Indigenous Systems of Medicine and Homoeopathy is dependent on the availability of adequate outlays for the purpose during the VIII Plan.

मानवीय अंगों को बेचने वाले कुष्ठ संस्थान

249. डॉ० रत्नाकर पाण्डेय :

श्री राम चन्द्रन पिल्लै :

श्री रजनी रंजन साहू :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कुष्ठ संस्थान कुष्ठ रोगियों के गुर्दे और उनकी आंखें निकालने के धड़े में लगे हुए हैं, जैसा कि टिपिक 16 जनवरी, 1992 के

द टाइम्स आफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इन संस्थानों के कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं; और

(घ) सरकार ने प्रभावित कुष्ठ रोगियों के लिए क्या कुछ किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० थारा देवी सिद्धार्थ) : (क) सरकार को 16 जनवरी, 1992 को टाइम्स आफ इंडिया में "कुष्ठरोग संस्थान द्वारा रोगी के अंगों की बिक्री" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई सी एम आर) ने सूचित किया है कि केन्द्रीय जाल्मा कुष्ठरोग संस्थान, आगरा जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् का स्थायी संस्थान है, के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच की गई है जिन्हें निराधार पाया गया है।

जाल्मा संस्थान केवल कुष्ठरोग अनुसंधान और कुष्ठरोगियों की परिचर्या और इलाज के कार्य में ही लगा हुआ है। कुष्ठरोगियों की परिचर्या और इलाज का लक्ष्य इस रोग का उन्मूलन करना है तथा रोगी की ऐसी शल्यचिकित्सा करना है जिससे कि वह चिकित्सा के पश्चात्

सामान्य कार्य कर सके। इस प्रकार, संस्थान में की गई केवल एक शल्यचिकित्सा पुनर्रचनात्मक/प्रत्यर्पणीय शल्यचिकित्सा है। संस्थान, में महत्वपूर्ण ग्रंथों, जैसे गुदों और आंखों को निकालने एवं प्रत्यारोपित करने का कार्य नहीं किया जाता है तथा यह कार्य पहले भी कभी नहीं किया गया है और ऐसे आपरेशनों के लिए संस्थान में कोई सुविधा मौजूद नहीं है। पिछले 3 वर्षों में टाइम्स आफ इंडिया की न्यूज रिपोर्ट में बतलाए गए व्यक्तियों में से किसी को भी अंतरंग रोगी या बहिरंग रोगी के रूप में भर्ती नहीं किया गया है।

16 जनवरी, 1992 के समाचार में बतलाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए "आई सी एम आर डिनार्ड्ड रिपोर्ट आन लैप्रोसी इस्टीमेट" नामक शीर्षक से एक समाचार 25-1-1992 को टाइम्स आफ इंडिया के नई दिल्ली संस्करण में भी प्रकाशित हुआ था।

16 जनवरी, 1992 के समाचार के अंश भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका (सिविल) संख्या 1991 का 1095-श्री सुशील कुमार वर्मा बनाम संघ सरकार और अन्य की विषय वस्तु है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने उक्त न्यायालय में एक जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें कथित याचिका में दी गई बातों से इंकार किया गया है एवं वास्तविक स्थिति बतलाई गई है जैसा कि बाद में बिनांक 25 जनवरी, 1992 के टाइम्स आफ इंडिया की दूसरी न्यूज रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

Grain Mandi at Mansa in Bhatinda

250. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a proposal is under Government's consideration to construct grain Mandi at Mansa in Bhatinda district, Punjab;

(b) if so, the reasons for delay in this regard; and

(c) by when the work of constructing the grain Mandi is likely to start there?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) to (c) Specific information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

Women Cells in Police Stations

251. SHRI R. T. GOPALAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Governments were asked to set up Women Cells in Police Stations to deal with the grievances pertaining to women; and

(b) if so, the States where such cells have been set up and at what level?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) and (b) 'Police' being a State subject it is primarily for the State Governments to set up women's cells in police stations in accordance with local needs and requirements. The Government of India have not issued any specific instructions in this regard.

Posting of choice in CRPF

252. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that officers and other ranks in CRPF are allowed posting of their choice two years before their retirement; if so, the details of the rule in this regard;

(b) what are the names of the officers of CRPF of the rank of Assistant Commandant, II-IC (Two IC), Commandant, who are due to retire in 1994 and who applied for posting in Delhi during the months of December, 91, January, 92 and so far till February, 1992;

(c) whether they have been given the posting of their choice; if so, the details thereof; and if not, the reasons therefor; and